

चौथी की परीक्षा में विवादित प्रश्न: DEO विजय लहरे निलंबित

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, लापरवाही और अनियमितताओं पर गिरी गाज

WebMorcha रायपुर | 28 अप्रैल 2026

BREAKING NEWS नवा रायपुर, 28 अप्रैल 2026

महासमुंद DEO विजय लहरे निलंबित!

चौथी की परीक्षा विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई के संकेत

- चौथी की परीक्षा में 'कुत्ते का नाम' विकल्प में 'राम' नाम पर विवाद
- प्रश्नपत्र निर्माण में लापरवाही, धार्मिक भावनाएं आहत होने का मामला
- अन्य प्रशासनिक अनियमितताओं की भी जांच में पुष्टि
- मीडिया और प्रशासनिक ग्रुप में निलंबन आदेश वायरल

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
// संसालय //
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल गगर 492002
// आदेश //
नवा रायपुर, दिनांक 27-04-2026
क्र. E57B-1024/235/2025/20-2 :-
छत्तीसगढ़ के पतेको, एलदुद्दारा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ संघ वरिल मदी एलदुद्दारा
एलदुद्दारा नैचम, जिलम गणम अर्दीए) विजम, 1966 के नियम-9(1)(क) में नाले
धार्मिक भोदनाएं आ आहत होने मेंलंबितने नोमर नैचम शीक्यवे।
अतः राज्य शासन, एलदुद्दारा, छत्तीसगढ़ विदिल सेवा
(सर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क)
के तहत श्री विजय कुमार लहरे, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय
कार्यालय सभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा सभाग), रायपुर
नियत किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(संजीता भोसे)
अवर सचिव
**निलंबन आदेश
(सूत्रों के हवाले से)**
**विजय कुमार लहरे
प्रभारी DEO, महासमुंद**

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार विभागीय सूत्रों के अनुसार जांच में लापरवाही और अनियमितताएं पाई गईं।

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) विजय कुमार लहरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई चौथी कक्षा की परीक्षा में पूछे गए एक विवादित प्रश्न और विभागीय कार्यों में गंभीर लापरवाही के चलते की गई है।

क्या है पूरा मामला?

जनवरी 2026 में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार चौथी कक्षा के अंग्रेजी प्रश्नपत्र में एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। प्रश्न में "कुत्ते का नाम" के विकल्प के रूप में भगवान राम का नाम शामिल किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और

विभाग की छवि पर भी असर पड़ा।

जांच में सामने आया कि प्रश्नपत्र तैयार करने, मुद्रण और वितरण की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की थी, लेकिन इस प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरती गई।

अन्य गंभीर आरोप भी सामने आए

जांच में कई अनियमितताएं उजागर हुईं:

- हाईकोर्ट से जुड़े मामले में समय पर कार्रवाई नहीं करना
- विभागीय आदेशों की अनदेखी
- ऑडिट में वित्तीय अनियमितताएं
- पद के दायित्वों में लापरवाही और अनुशासनहीनता

इन सभी को गंभीर कदाचार माना गया।

तत्काल निलंबन, मुख्यालय तय

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए विजय लहरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), रायपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।

नए अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार

लहरे के निलंबन के बाद बी.एल. देवांगन (उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय) को महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

निलंबन अवधि में मिलेगा भत्ता

निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

निष्कर्ष

शिक्षा विभाग की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, शासन ने दिया साफ संदेश— अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं।